



संख्या-147/2026/1473/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2024-1840387

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 जुलाई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु रोग नियंत्रण योजना (100 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-175/सा.-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-जनरल/2026-27, दिनांक-15.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस.एन.ए. स्पर्श के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0211-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.100/रा.00-के.) के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0-9.15 लाख (रूपये नौ लाख पन्द्रह हजार मात्र) (केन्द्रांश) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (3) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- (4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक-09.06.2026 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
- (6) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
- (7) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
 - (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
 - (10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,15,000 (रुपये नौ लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001010211 पशु रोग नियंत्रण योजना(के.100/रा.00-के.) मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-75-X-2026-27, दिनांक-07.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)

उप सचिव।

पू0सं0-147/2026/1473(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2024-1840387, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/साइबर कोषागार।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।